DELHI VIDHAN SABHA BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters) Thursday, June 16, 1994/Jyestha 26, 1916 (Saka)

No.95

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following communication dated the 13th June, 1994 addressed to the Speaker, Delhi Legislative Assembly, from the Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi, was received on 15th June, 1994 :-

"I have the honour to inform you that Sh. Ramvir Singh Bidhuri, M. L.A. alongwith his other supporters was detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978, for disobeying the lawful direction of Police from Parliament Street, Opposite Police Station Parliament Street, New Delhi at 1.20 P.M. today i.e. 13.6.1994.

He was released at 1.55 P.M. from Police Station Parliament Street, New Delhi, the same day i.e. 13.6.1994.

He again disobeyed the lawful direction of Police alongwith workers of Badarpur Power House at the above place and was detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 from the said place at 2.00 P.M. and was released at 2.05 P.M. from Police Station Parliament Street, the same day."

> P.N. GUPTA SECRETARY

दिल्ली विधान सभा समाचार भाग-2

१विधायी तथा अन्य मामलों से तम्बन्धित सामान्य जानकारी १ वृहस्पतिवार, 16 जून, 1994 / 26 ज्येषठ, 1916 १्राक १

संख्या 95

सदस्य की नज़रवन्दी एवं रिहाई

पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित दिनांक 13 जून, 1994 का निम्नलिखित पत्र दिनांक 15 जून, 1994 को प्राप्त हुआ:—

" मुझे आपको सादर यह सूचित करना है कि श्री राम वीर तिंह विधूड़ी, विधायक को उनके समर्थको तहित आज अर्थात् दिनांक 13-6-94 को अपराह्न 1-20 बजे थाना पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली के तामने पार्लियामेन्ट स्ट्रीट से मुलिस के विधि सम्मत निदेशों की अवज्ञा करने के लिये दिल्ली मुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अन्तर्गत नज़रबन्द किया गया था।

उन्हें उती दिन अर्थात् ।3-6-94 को धाना पार्लियामेन्ट स्ट्रीट से अपराह्न 1-55 बजे रिहा किया गया था ।

उन्होंने फिर उसी स्थान पर बदरपुर पावर हाउस के कर्मचारियों के साथ पुलिस के विधि सम्मत निदेशों की अवज्ञा की और उसी दिन अपराह्न 2-00 बजे वे उक्त स्थान पर दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अन्तर्गत मंज़रबन्द किये गए और उसी दिन थाना पार्लियामेन्ट स्ट्रीट से अपराह्न 2-05 बजे रिहा कर दिये गये।

पी• एन• गुप्ता सचिव